

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी
(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 488/2016
संस्थित दिनांक 10.08.2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
ठीकरी, जिला बड़वानी, मप्र

- **अभियोगी**

वि रू द्ध

रमानंद पिता सज्जनसिंह भील,
उम्र 35 वर्ष, निवासी कुंदामाल,
थाना ठीकरी, जिला बड़वानी

- **अभियुक्त**

अभियोजन द्वारा एडीपीओ - श्री अकरम मंसूरी
अभियुक्त द्वारा अभिभाषक - श्री आर. के. श्रीवास

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 22.03.2017 को घोषित)

01- आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 220/2016 के आधार पर दिनांक 04.07.2016 को शाम लगभग 7:00 बजे ग्राम कुंदामाल जसुपुरा में उपहति कारित करने की तैयारी कर फरियादी के घर में जो कि सम्पत्ति की अभिरक्षा में आता है, में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित करने के कारण भादवि की धारा 452 का आरोप है।

02- प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि अभियोजन साक्षी आरोपी को जानते हैं। प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि प्रकरण में विचारण के दौरान फरियादी द्वारा राजीनामा किये जाने के आधार पर आरोपी को भा.द.वि. की धारा 294, 323, 506 भाग-2 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भा.द.वि. की धारा 452 का अपराध अशमनीय प्रकृति का होने से उक्त धारा में निर्णय किया जा रहा है।

03- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04.07.16 को फरियादी उदयसिंह ने थाना ठीकरी पर आरोपी के विरुद्ध इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दि. 04.07.16 को करीब 7:00 बजे वह अपने घर पर था तब आरोपी उसके घर के अंदर घुस गया और बोला कि वह उसका मकान खाली क्यों नहीं कर रहा है तो उसने बोला कि यह मकान तो उसका है तो इस पर आरोपी उसे पकड़कर बाहर लाया और मां बहन की नंगी नंगी गालियां देने लगा मना करने पर उसे पत्थर मारा जो उसे सिर में सामने लगा, झगड़ा देखकर उसकी पत्नी भूरीबाई बीच बचाव करने आई तो उसे भी आरोपी ने दराता से मारपीट की जिससे उसकी पत्नी को बांये हाथ की उंगलियों में चोट लगी। आरोपी ने उसे बोला कि यह मकान खाली कर देना

नहीं तो उसे जान से खत्म कर देंगा। झगड़ा कृष्णा व अनारसिंह, निवासी कुंदामाल ने देखा व बीच बचाव किया। वह अपनी पत्नी भूरीबाई को साथ लेकर थाने रिपोर्ट करने आया है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी पर अपराध क्रमांक 220/16 दर्ज कर, सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— उपरोक्त अनुसार मेरे द्वारा अभियुक्त को भादवि की धारा 452 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित करने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है, अभियुक्त ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना प्रकट किया है।

05— प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 04.07.2016 को शाम लगभग 7:00 बजे ग्राम कुंदामाल जसुपुरा में उपहति कारित करने की तैयारी कर फरियादी के घर में जो कि सम्पत्ति की अभिरक्षा में आता है, में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया?

— विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष —

06— उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी उदयसिंह (अ.सा.-1) का कथन है कि 2-3 माह पहले वह घर पर बैठा था तभी आरोपी आया और उसे मकान खाली करने की बात को लेकर मां-बहन की नंगी नंगी गालियां देने लगा और उसे एक पत्थर मारा जो सिर में लगा था, उसकी पत्नी बीच बचाव करने आई तो उसे भी आरोपी ने मारपीट की थी। उसने थाना ठीकरी पर प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका मेडिकल कराया था और उससे पूछताछ की थी। न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने पुलिस को आरोपी द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने की बात बतायी थी। साक्षी ने प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट तथा प्रदर्श पी 2 के पुलिस कथन में ए से ए भागों वाली बात बताने से भी इंकार किया है। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपी से उसका राजीनामा हो गया है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया है कि राजीनामा होने से वह आरोपी को बचाने के लिये असत्य कथन कर रहा है।

07— बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसने पुलिस को मारपीट करने के संबंध में रिपोर्ट लिखायी थी। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने रिपोर्ट एवं कथन में पुलिस को आरोपी द्वारा घर में घुसकर गाली गुप्ता कर मारपीट करने की बात नहीं लिखाई थी, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि वह घर के बाहर ही बैठा था, जहां आरोपी से उसका विवाद हुआ था। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसने पुलिस को रिपोर्ट एवं कथन में उसकी पत्नी को दराता मारने वाली बात भी नहीं बताई थी। साक्षी ने

स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसे रिपोर्ट पढ़कर नहीं सुनाई थी। साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है।

08— भूरीबाई (अ.सा.2) ने भी फरियादी उदयसिंह के कथनों का समर्थन करते हुए आरोपी द्वारा उनके घर घर आकर मकान खाली करवाने और उसके पति को मां बहन की अश्लील गालियां देने, उसके पति को दराते से मारने तथा उसके द्वारा बीच बचाव करने पर उसके साथ भी मारपीट करने, जिससे उसकी उंगली में चोट आने, जिसकी रिपोर्ट उसके पति द्वारा कराये जाने के संबंध में कथन किया है। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया था और उसकी निशांदाही से पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था और पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसे बांये हाथ की तर्जनी उंगली में दराते से चोट बीच बचाव में आई थी, जो उसने पुलिस को बयान में बताई थी। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसने पुलिस को नहीं बताया था कि आरोपी ने उसे दराती मारी थी। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके तथा उसके पति के साथ आरोपी ने कोई झगड़ा नहीं किया। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि पुलिस को उसने नक्शा मौका नहीं बताया था तथा उसने पुलिस के किसी भी कागज पर अंगुठा नहीं लगाया था। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसने पुलिस को ऐसा नहीं बताया था कि आरोपी उसके घर में घुसकर मारपीट की थी, साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी को फंसाने के लिये वह असत्य कथन कर रही है।

09— सुरेन्द्र कनेश(अ.सा-3) ने दिनांक 04.07.16 को पुलिस थाना ठीकरीपर फरियादी उदय पिता दौलतसिंह के द्वारा आरोपी के विरुद्ध घर के अंदर घुसकर मारपीट एवं गालियां देने और पत्नी को दराता मारने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जो उसके द्वारा थाने के आप.क्र. 220/16 पर प्रदर्श पी 1 की दर्ज कर जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि पुलिस थाना ठीकरी पर सहा. उपनिरीक्षक भालसे के साथ लगभग 1 वर्ष से कार कर रहे हैं और वह उनकी हस्तलिपि एवं हस्ताक्षर को जाते हैं। नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 सहा. उपनिरीक्षक काशीराम भालसे की हस्तलिपि में होकर उसके ए से एए भाग पर काशीराम भालसे के हस्ताक्षर हैं और साक्षी उदयसिंह, भूरीबाई, कृष्णा, अनारसिंह के कथन सहा. उपनिरीक्षक काशीराम भालसे द्वारा लेखबद्ध किये गये थे।

10— बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे फरियादी उदयसिंह ने आरोपी द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने वाली बात नहीं बताई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे फरियादी ने प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट में बी से बी भाग वाली बात नहीं बताई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि भूरीबाई ने सहा. उपनिरीक्षक काशीराम भालसे को घटना स्थल नहीं बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है

कि सहा.उपनिरीक्षक काशीराम भालसे को साक्षी उदयसिंह ने प्रदर्श पी 2 में ए से ए भाग वाली बात नहीं बताई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि सहा. उपनिरीक्षक काशीराम भालसे को साक्षी भूरीबाई, कृष्णा, अनारसिंह ने कोई कथन नहीं दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि फरियादी के कहने पर आरोपी को फंसाने के लिये उसके विरुद्ध असत्य रिपोर्ट लेखबद्ध की है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

11- राजीनामा होने के कारण किसी अन्य साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण का फरियादी स्वयं पक्ष विरोधी रहा है और उसने अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 452 के अपराध के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं तथा उनसे राजीनामा होना स्वीकार किया है तो फरियादी स्वयं के कथनों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध या अन्य कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उसे उक्त अपराध के लिये दोषविद्ध नहीं ठहराया जा सकता है और उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किये जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 452 के अंतर्गत अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

12- अतः आरोपी रमानंद पिता सज्जनसिंह भील, उम्र 35 वर्ष, निवासी कुंदामाल, थाना ठीकरी, जिला बड़वानी को भा.द.वि. की धारा 452 के अंतर्गत अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14- अभियुक्त के द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि के प्रमाण-पत्र बनाये जाए।

15- प्रकरण में जप्त सम्पत्ति नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

-सही-

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

-सही-

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.